डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

आंकड़ा स्रोत

यह अध्ययन 28 राज्य सरकारों के बज़ट दस्तावेजों में प्रस्तुत प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों पर आधारित है। विधानसभा वाले दो केंद्र शासित प्रदेशों, यथा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी संबंधी आंकड़े सभी विवरणों में ज्ञापन मदों के रूप में अलग से दिए गए हैं। यह विश्लेषण राज्य बजटों में प्रस्तुत आंकड़ों और उनके लेखांकन के वर्गीकरण के अनुसार किया गया है। विस्तृत परिशिष्ट राजस्व और पूंजी खातों में अलग-अलग राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की प्राप्तियों एवं व्यय के वर्गीकरण पर आधारित हैं। राजस्व व्यय और पूंजी व्यय को और दो भागों 'योजना' एवं 'योजनेतर' में विभाजित किया गया है। राज्य सरकारों से संस्थागत सुधारों, गारंटियों (आकस्मिक देयताओं) के स्तर, मजदूरी और वेतन पर खर्च एवं परिचालन तथा रखरखाव के बारे में कुछ अनुपूरक जानकारी भी प्राप्त की गई है। अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम) पर जानकारी इस अध्ययन में अलग से प्रस्तुत नहीं की गई है और संबंधित प्राप्ति शीर्ष में शामिल की गई है। राज्यवार बकाया योजना परिव्यय के संबंध में योजना आयोग से प्राप्त जानकारी को भी इस अध्ययन में शामिल किया गया है। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को दी गई ऋण राहत और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के अंतर्गत राज्यवार बकाया केंद्रीय ऋणों से संबंधित आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त किए गए हैं। राज्यवार बकाया केंद्रीय ऋणों से संबंधित आंकड़ो संघीय वित्त लेखे से लिए गए हैं। इसके अलावा, आंकड़ों की कई मदों, जिनमें अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट, बाजार से लिए गए उधार, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों के निवेश और राज्य विकास ऋणों का परिपक्वता स्वरूप शामिल हैं, से संबंधित जानकारी रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त की गई है।

परिशिष्ट III (पूंजीगत प्राप्तियां) और परिशिष्ट IV (पूंजीगत व्यय) में सरकारी लेखा सहित सभी मदों के लिए दिए गए आंकड़े समग्र आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट III में कुल पूँजीगत प्राप्तियों की जानकारी है जिसमें निवल आधार पर सरकारी लेखों की जानकारी शामिल है तथा परिशिष्ट IV सरकारी लेखे को छोड़कर कुल पूंजीगत व्यय बताता है। परिशिष्ट सारणियों (समेकित), विवरणों (राज्यवार) में दी गई और इस विश्लेषण में उपयोग की गई पूंजी प्राप्तियों में सरकारी लेखे निवल आधार पर शामिल हैं जबकि सरकारी लेखे को संबंधित पूंजीगत व्यय से निकाल दिया गया है। इस अध्ययन और राष्ट्रीय औसतों में सभी राज्यों का योग एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर अट्ठाईस राज्य सरकारों से संबंधित है। इस अध्ययन में प्रयोग किए गए प्रत्येक राज्य के सकल राज्य देशी उत्पाद संबंधी आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से लिए गए हैं। इसमें संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रयोग किए गए जीएसडीपी अनुमान से प्राप्त जानकारी जोड़ी गई है। जहां कहीं जीएसडीपी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहां आंकड़े पिछले तीन वर्षों के वार्षिक औसत विकास दर पर आधारित अनुमानों के अनुसार लिए गए हैं। सकल देशी उत्पाद से संबंधित आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य से संबंधित हैं और सीएसओ से लिए गए हैं। जीएसडीपी/जीडीपी अनुपात की गणना जीएसडीपी/जीडीपी के अद्यतन अनुमानों पर आधारित है। आबादी से संबंधित आंकड़े भारत की जनगणना की वेबसाइट से लिए गए हैं। परिशिष्ट सारणियों और विवरणियों में बताया गया प्रतिशत अंतर आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण अलग-अलग हो सकता है।

कार्यप्रणाली

व्यय संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा, पूंजी परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित सभी खर्चों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, विकासात्मक व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल रहती हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए खर्च को गैर विकासात्मक खर्च माना जाता है। इस प्रकार, विकास व्यय में राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय के

विकास घटक तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल रहते हैं। इस सामाजिक क्षेत्र व्यय में राजस्व व्यय सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास तथा खाद्यान्न संग्रहण एवं भंडारण पर किया जानेवाला व्यय, पूंजी परिव्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल रहते हैं। पूंजी परिव्यय में विकास और विकासेतर दोनों ही प्रकार के पूंजी परिव्यय शामिल रहते हैं। इस विश्लेषण में प्रयुक्त समग्र घाटा/अधिशेष (परांपरागत घाटा/अधिशेष) नकद घाटा/अधिशेष (अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष के बीच का अंतर), नकदी शेष निवेश लेखा में वृद्धि/कमी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि/कमी के बराबर है।

ऋण सांख्यिकी के लिए कार्यप्रणाली

2005-06 के बजटों के अध्ययन में रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों की बकाया देयताओं के आंकड़े 1990-91 से संकलित किए थे। 2006-07 के अध्ययन में बकाया देयताओं की संशोधित श्रृंखला प्रकाशित की गई जिसमें राज्य सरकारों की आरक्षित निधि, जमाराशि और अग्रिम तथा राज्य सरकारों की आकस्मिकता निधि के आंकड़े शामिल थे। 2007-08 के अध्ययन में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की संशोधित आंकड़ा श्रृंखलाएं केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखों, रिज़र्व बैंक के रिकॉर्डों, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त लेखों तथा राज्य सरकारों के बज़ट दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 2003-04 से प्रकाशित की गयी हैं। वर्तमान अध्ययन में बकाया देयताओं के समेकन हेतु वहीं पद्धति अपनायी गई है जो 2007-08 के अध्ययन में दी गयी है और यह उन्हीं आंकड़ा स्रोतों का उपयोग करती है। परिशिष्ट सारणी 21 और 22 और विवरण 26 से 28 में दिए गए राज्यों की ऋण स्थिति के आंकड़े अनंतिम हैं। बाजार से लिए गए राज्यवार ऋणों (विवरण 32) के आधार पर बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता की जानकारी विवरण 34-35 में दी गई है। इन विवरणों में भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर विभक्त हुए तीन राज्यों की देयताओं के उनके संबंधित नवनिर्मित राज्यों में किए गए विनियोजन को शामिल किया गया है।

टिप्पणी: 1980-81 से 2009-10 (बीई) के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के राज्यवार आंकड़े और 1990-91 से 2009-10 (बीई) के राजस्व और पूंजी खाते में लेनदेन के राज्यवार विस्तृत आंकड़े रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई 2010 में प्रकाशित 'राज्य सरकारी वित्त पर सांख्यिकी हैंडबुक' में प्रकाशित किये गये थे। इस हैंडबुक में 28 राज्यों और दो संघ शासित प्रदेशों के आंकड़े हैं और इसे तीन रूपों, अर्थात छपे हुये, सीडी और वेब आधारित (www.rbi.org.in), में जारी किया गया था। जहां छपा हुआ रूप 1990-91 से 2009-10 (बीई) की अवधि के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के आंकड़े और 2002-03 से 2009-10 (बीई) की अवधि के राजस्व और पूंजी खाते के लेनदेन के आंकड़ों का राज्य-वार ब्योरा कवर करता है, वहीं सीडी और वेब-आधारित रूप छपे हुये रूप की तुलना में अधिक व्यापक है जो कि 1980-81 से आगे की अवधि के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों और 1990-91 से आगे की अवधि के राजस्व और पूंजी खाते के लेनदेन के आंकड़ों का राज्य-वार ब्योरा कवर करता है। सीडी रूप में इंटेलीजेंट सर्च फीचर्स भी शामिल है। 2001-02 से प्रकाशित "राज्य वित्त:बजटों का अध्ययन" प्रकाशन के अंक रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।